मिल्मेन्ट ऑफ्थो इंडस्ट्रीज और अन्य

बनाम

एलर्जेन इंक

7 मई,2004

(एस.एन. वरियावा एवं एच.के. सेमा, जे.जे.)

खाद्य और औषधि नियंत्रण-उत्तरदाता कम्पनी कई देशों में फार्मास्यूटिकल उत्पाद निर्माण कर रही है- द्वारा चिन्ह 'ऑक्यूफलोक्स' का प्रथम उपयोगकर्ता होने से इसे भारतीय कम्पनी के विरूद्ध पासिग ऑफ के लिए दावा- अंतरिम निषेधान्ता मंजूर हुई- यद्यपि बाद में इसे इस आधार पर रद्द कर दिया कि भारतीय कम्पनी पहली कम्पनी थी जिसने उत्पाद पेश किया- उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने यह निर्धारित किया कि दावा करने वाली कम्पनी मार्केट में पहली थी इसलिए निषेधान्ता की हकदार है- अपील में, निर्धारित: चूंकि चिन्ह (mark) के प्रथम उपयोगकर्ता के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है, मामला साक्ष्य के आधार पर परीक्षण होने से विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया- यदि यह पाया जाए कि दावा करने वाली कम्पनी द्वारा भारतीय कम्पनी के उपयोग से पहले मार्क अपना लिया था,

तब निषेधाज्ञा का अधिकार होगा और यदि नहीं, तो निषेधाज्ञा रद्द की जायेगी एवं भारतीय कम्पनी नुकसानी पाने की अधिकारी होगी।

उत्तरदाता-फार्मास्युटिकल कम्पनी विभिन्न देशों में फार्मास्युटिकल उत्पाद का निर्माण और मार्केटिंग कर चुकी है। उनके द्वारा मार्क "ऑक्यूफलोक्स", जो कि ऑखों की देखभाल के उत्पाद से संबंधित औषधीय तैयारी बाबत था, ने अपीलार्थी भारतीय फार्मास्यूटिकल कम्पनी के विरूद्ध इस मार्क के पासिंग ऑफ का दावा दायर किया। उनके द्वारा सन् 1992 से विभिन्न देशों में मार्क का प्रथम उपयोगकर्ता होने का दावा किया और उनके भारत सहित विभिन्न देशों में इस मार्क को रजिस्टर करने के प्रार्थना पत्र लंबित थे। अपीलार्थीगण एक औषधीय दवा "ऑक्यूफलोक्स" जो कि आंख व कान के उपचार के संबंध में काम आती थी. का बेचान कर रहे थे जिनका मार्क "ऑक्यूफलोक्स" के रजिस्ट्रेशन बाबत 1993 से प्रार्थना पत्र लंबित था। न्यायालय द्वारा उत्तरदातागण को अन्तरवर्ती (अन्तरिम) निषेधाज्ञा जारी की जिसे बाद में इस आधार पर रद्द कर दिया कि उत्तरदाताओं का उत्पाद भारत में नहीं बेचा जा रहा था और अपीलार्थीगण इसे भारत में पेश करने वाले पहले व्यक्ति थे। प्रत्यर्थीगण ने अपील प्रस्तुत की। हाईकोर्ट ने यह निर्धारित करते हुए अपील मंजूर की, कि बाजार में प्रत्यर्थीगण पहले व्यक्ति थे, इसलिए निषेधाज्ञा के हकदार हैं। इस कारण वर्तमान अपील दायर ह्ई।

अपील का निर्णय करते हुए, न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित किया: 1.1. धोखे या भ्रम की संभावना पर विचार करते हुए, विशेषतः औषधीय क्षेत्र में जो कि आजकल अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति का है, न्यायालय को इस सम्भावना को ध्यान में रखना चाहिए कि समय ग्जरने के साथ, भारत में आवेदक द्वारा चिन्ह के उपयोग और विदेशी कम्पनी द्वारा उपयोगकर्ता के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। यदि किसी दवा के संबंध में कोई चिन्ह विश्व स्तर पर उत्तरदाताओं के साथ जुड़ा हुआ है और एक समान मार्क को भारत में एक समान दवा के संबंध में बेचने की अनुमति दी जाती है तो इससे एक असामान्य/असंगत स्थिति उत्पन्न होगी। हालाँकि सावधानी का एक नोट अवश्य व्यक्त किया जाना चाहिए। बह्राष्ट्रीय निगम, जिनका भारत आने या भारत में अपना उत्पाद पेश करने का कोई इरादा नहीं है, उन्हें किसी भारतीय कंपनी को भारत में उत्पाद बेचने की अनुमति न देकर उसका गला घोंटने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, यदि भारतीय कंपनी ने वास्तव में इस चिह्न को अपनाया है और उत्पाद विकसित किया है और बाज़ार में प्रथम स्थान पर है। इस प्रकार अंतिम परीक्षा यह होनी चाहिए कि बाज़ार में प्रथम कौन है।

1.2 इस मामले में, औषधीय उत्पाद के संबंध में चिन्ह समान हैं, केवल यह तथ्य कि उदत्तरदाता भारत में चिन्ह का उपयोग नहीं कर रहे हैं, अप्रसांगिक होगा यदि वह विश्व बाजार में सबसे पहले से हैं। उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने ऐसी सामग्री पर भरोसा किया था जो प्रथम दृष्टया दर्शाती है कि अपीलकर्ताओं के क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले उत्तरदाताओं ने उत्पादन का विज्ञापन कर दिया था और निष्कर्ष निकाला कि उत्तरदाताओं ने सबसे पहले चिन्ह को अपनाया था। यदि ऐसा है तो खण्डपीठ द्वारा निकाले गए निष्कर्ष में कोई त्रुटी नहीं पाई जा सकती है। अपीलार्थी के अनुसार, उत्तरदाता निशान का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे और इस बात का कोई सबूत नहीं था कि उत्तरदाताओं ने निशान को अपनाया था। अपीलकर्ताओं द्वारा भारत में चिन्ह का उपयोग करने से पहले उन्होंने चिन्ह का उपयोग किया था। इसलिए मामले की जांच साक्ष्य के आधार पर की जाने की जरूरत है और इसे विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। यद्यपि निषेधाज्ञा आदेश लगातार जारी रहेगा। इसके अलावा यदि साक्ष्य से यह पाया जाए कि प्रत्यर्थियों ने अपीलकर्ताओं के ऐसा करने से पहले, चिन्ह को अपनाया था, तब वह निषेधाज्ञा के हकदार होंगे और यदि ऐसा नहीं है तो, विचारण न्यायालय निषेधाज्ञा को रद्द कर देगा और अपीलार्थी हर्जाना पाने के हकदार होंगे।

कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड बनाम कैडिला फार्मास्युटिकल लिमिटेड(2001)पीटीसी, 300 एससी, पर विश्वास किया। एन.आर डोंगरे बनाम व्हर्लपूल निगम, (1996) 16, पी.टी.सी, 583 संदर्भित किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील नम्बर 5791/1998

कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 6.11.1997 से जो कि एपीओ सं. 78/97,जी.ए.सं. 3907, सी.एस सं. 349/96 में पारित किया गया।

जोसेफ पुक्कट्ट बनाम प्रशांत कुमार- अपीलार्थीगण की ओर से।

सी.एम लाल, मि0 शिखा सचदेव, नवीन चावला और नितेष राणा-प्रत्यर्थीगण की ओर से।

निर्णय न्यायाधिपति एस.एन वरियावा द्वारा निर्गमित किया गया-

यह अपील कलकता उच्च न्यायालय के 6, नवम्बर,1997 के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

संक्षेप में इसके तथ्य इस प्रकार हैं:

अपीलकर्ता एक भारतीय फार्मास्युटिकल कंपनी हैं। उत्तरदाता भी एक फार्मास्युटिकल कंपनी है जो कई देशों में फार्मास्युटिकल उत्पाद बनाती है। उत्तरदाताओं ने प्रतिवादियों द्वारा निर्मित और विपणन की गई एक औषधीय तैयारी पर इस्तेमाल किए गए मार्क "ऑक्यूफलोक्स" के पासिंग ऑफ की कार्रवाई के आधार पर निषेधाज्ञा के लिए एक दावा दायर किया। उत्तरदाताओं ने दावा किया कि वह ओफ़्लॉक्सासिन और अन्य यौगिकों वाले नेत्र देखभाल उत्पाद के संबंध में ऑक्यूफलोक्स मार्क के पूर्व उपयोगकर्ता थे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पहली बार इस मार्क का इस्तेमाल 9 सितंबर, 1992 को किया था, जिसके बाद उन्होंने यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे अन्य देशों में उत्पाद का विपणन किया और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, बोलीविया, इक्वाडोर, मैक्सिको, पेरू, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में पंजीकरण प्राप्त किया था। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने भारत सहित कई अन्य देशों में भी चिन्ह(mark) के पंजीकरण के लिए आवेदन किया है और उनके आवेदन लंबित हैं। अपीलकर्ता आंख और कान के इलाज के लिए उपयोग की जाने सिप्रोफ्लोक्सासिन एचसीएल युक्त औषधीय वाली तैयारी "ऑक्यूफलोक्स" बेच रहे थे। उनका दावा है कि उन्होंने "ऑक्यूलर" से उपसर्ग ''ऑक्यू'' और ''सिपरोफलोक्सिन'' से ''फलॉक्स'' उपसर्ग लेकर "ऑक्यूफलोक्स" शब्द गढ़ा है, जो उनके उत्पाद का मूल घटक है। अपीलकर्ताओं को 25 अगस्त. 1993 को खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन द्वारा पंजीकरण प्रदान किया गया था।

उन्होंने सितंबर 1993 में ऑक्यूफलोक्स मार्क के पंजीकरण के लिए भी आवेदन किया था। उनका आवेदन भी लंबित है।

18 दिसंबर, 1996 को प्रतिवादियों को अंतरिम निषेधाज्ञा प्राप्त हुई। हालाँकि यह निषेधाज्ञा 29 जनवरी, 1997 को रद्द कर दी गई थी। एकल न्यायाधीश ने माना कि प्रतिवादियों का उत्पाद भारत में नहीं बेचा जा रहा था और अपीलकर्ताओं ने भारत में पहली बार उत्पाद पेश किया था, इसलिए प्रतिवादी निषेधाज्ञा के हकदार नहीं थे।

उत्तरदाताओं द्वारा दायर अपील को आक्षेपित निर्णय से स्वीकार किया गया था। आक्षेपित निर्णय में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर ध्यान दिया गया है। यह माना गया है कि उत्तरदाता बाज़ार में पहले से थे इसलिए वे निषेधाज्ञा पाने के हकदार थे।

इस विषय पर कई निर्णयों द्वारा कानून अच्छी तरह से तय किया हुआ है। उन सभी निर्णयों को यहां उद्दत करना आवश्यक नहीं है। केवल दो निर्णयों का उल्लेख करना पर्याप्त होगा।

एनआर डोंगरे बनाम व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन के मामले में जो 1996 (16) पीटीसी 583 में रिपोर्ट हुआ, में अपीलकर्ताओं ने वाशिंग मशीनों के संबंध में मार्क ''व्हर्लपूल'' पंजीकृत करवाया था। व्हर्लपूल कॉरपोरेशन ने अपीलकर्ताओं को उनके उत्पाद के निर्माण, बिक्री, विज्ञापन या किसी भी तरह से ट्रेडमार्क "व्हर्लपूल" का उपयोग करने से रोकने के लिए प्रतिवादियों द्वारा की गई कार्रवाई को खारिज करने के लिए दावा दायर किया। यह माना गया कि ट्रेडमार्क के पंजीकृत मालिक के खिलाफ भी पासिंग ऑफ की कार्यवाही कानूनन चलने योग्य है। यह माना गया कि "व्हर्लपूल" का नाम लंबे समय से व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन के साथ जुड़ा हुआ था और इसकी सीमा पार प्रतिष्ठा भारत तक फैली हुई थी। यह माना गया कि "व्हर्लपूल" चिह्न व्हर्लपूल कॉरपोरेशन से निकलने वाले या उससे संबंधित माल की उत्पत्ति का संकेत देता है। यह माना गया कि निषेधाज्ञा साम्या में एक ऐसा अन्तोष है जो साम्या/समानता के सिद्धांतों पर आधारित थी। यह निर्धारित किया गया कि इक्विटी के लिए आवश्यक है कि व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन के पक्ष में निषेधाज्ञा दी जाए। यह माना गया कि निषेधाज्ञा से इनकार करने से व्हर्लपूल कॉर्पोर्पाेरेशन की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति हो सकती है, जबिक निषेधाज्ञा देने से अपीलकर्ताओं को कोई महत्वपूर्ण क्षति नहीं होगी, जो केवल "व्हर्लपूल" नाम वाले एक छोटे लेबल को हटाकर अपनी वॉशिंग मशीन बेच सकते हैं।

कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड बनाम कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के मामले में जो 2001 पीटीसी 300 (एससी) में रिपोर्ट हुआ, में सवाल यह था कि क्या" " और "फाल्सिटैब" चिह्न भ्रामक रूप से समान थे। ट्रायल कोर्ट ने अंतरिम निषेधाज्ञा से इनकार कर दिया। अपील भी खारिज कर दी गई। इस न्यायालय ने इस आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया कि मामले में गुण-दोष के आधार पर साक्ष्य की आवश्यकता है, बल्कि ऐसे सिद्धांत निर्धारित किए हैं जिनके आधार पर ऐसे मामलों का निर्णय लिया जाना आवश्यक है। इस न्यायालय ने माना कि भ्रामक समानता के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए पारित कार्रवाई में निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए:

- "क) चिह्नों की प्रकृति अर्थात् चिह्न शब्द चिह्न हैं या लेबल चिह्न या संयुक्त चिह्न, अर्थात् शब्द और लेबल दोनों काम करते हैं।
- ख) चिह्नों के बीच समानता की डिग्री, ध्वन्यात्मक रूप से समान और इसलिए विचार में समान।
- ग)माल की प्रकृति जिसके संबंध में उनका उपयोग व्यापार चिह्न के रूप में किया जाता है।
- घ) प्रतिद्वंद्वी व्यापारियों के माल की प्रकृति, चरित्र और प्रदर्शन में समानता।

- ड) खरीददारों का वह वर्ग जो सामान खरीदने की संभावना रखते हैं, उनकी शिक्षा और बुद्धिमता पर आवश्यक अंक होते हैं और वे सामान खरीदने और/या उपयोग करने में कुछ हद तक सावधानी बरतते हैं।
- च) सामान खरीदने या सामान के लिए ऑर्डर देने का तरीका, और
- छ) आसपास की कोई अन्य परिस्थितियाँ जो प्रतिस्पर्धी अंकों के बीच असमानता की सीमा में प्रासंगिक हो सकती हैं।"

औषधीय उत्पादों के संबंध में यह माना गया कि यदि औषधीय उत्पादों पर निशानों पर भ्रम की संभावना हो तो सटीक न्यायिक जांच की आवश्यकता होती है क्योंकि संभावित नुकसान सामान्य उपभोक्ता उत्पादों पर भ्रम की तुलना में कहीं अधिक गंभीर हो सकता है। यह माना गया कि भले ही कुछ उत्पादों को काउंटर पर नहीं बेचा जा सकता है, फिर भी यह असामान्य नहीं है कि क्षमता की कमी के कारण या अन्यथा गलतियाँ उत्पन्न होती हैं, विशेष रूप से जहां व्यापार चिह्न भ्रामक रूप से समान होते हैं। यह माना गया कि भ्रम और गलतियाँ उन प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के लिए भी पैदा हो सकती हैं जहाँ समान वस्तुओं का विपणन उन चिह्नों के तहत किया जाता है जो एक जैसे दिखते हैं और एक जैसे लगते हैं। यह

माना गया कि चिकित्सक भ्रम या गलती से अछूते नहीं हैं। यह माना गया कि यह सामान्य ज्ञान है कि कई नुस्खे फार्मासिस्टों को फोन करके दिए जाते हैं और अन्य हस्तिलिखित होते हैं, और अक्सर लिखावट सुपाठ्य नहीं होती है। यह माना गया कि यदि निशान बहुत अधिक समान दिखाई देते हैं तो ये तथ्य फार्मासिस्ट द्वारा नुस्खे (पर्चा) को भरने में भ्रम या गलती की संभावना को बढ़ाते हैं।

हम इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई बातों से पूरी तरह सहमत हैं। वर्तमान समय में और विशेष रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में धोखे या भ्रम की संभावना पर विचार करते समय, न्यायालयों को इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए कि आजकल चिकित्सा का क्षेत्र एक अंतरराष्ट्रीय चरित्र का है। न्यायालय को इस संभावना को ध्यान में रखना होगा कि समय बीतने के साथ. भारत में आवेदक द्वारा मार्क के उपयोग और विदेशी कंपनी द्वारा उपयोगकर्ता के बीच कुछ टकराव हो सकता है। न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक हित किसी भी तरह से खतरे में न पड़े। डॉक्टर, विशेष रूप से प्रतिष्ठित डॉक्टर, चिकित्सा व्यवसायी और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति या कंपनियां द्निया भर में चिकित्सा और तैयारियों में नवीनतम विकास से अवगत रहते हैं। इस देश में चिकित्सा साहित्य निःशुल्क उपलब्ध है। डॉक्टर, चिकित्सा व्यवसायी और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति नियमित रूप से चिकित्सा सम्मेलनों, संगोष्ठियों,

व्याख्यानों आदि में भाग लेते हैं। यह भी याद रखना चाहिए कि आजकल समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और देश में उपलब्ध अन्य मीडिया में वस्तुओं का व्यापक रूप से विज्ञापन किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप उत्पाद को विश्वव्यापी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इस प्रकार, यदि किसी दवा के संबंध में कोई चिह्न दुनिया भर के उत्तरदाताओं के साथ जुड़ा हुआ है तो यह एक विषम स्थिति पैदा करेगा यदि समान दवा के संबंध में एक समान चिह्न को भारत में बेचने की अनुमति दी जाती है। हालाँकि सावधानी का एक नोट अवश्य व्यक्त किया जाना चाहिए। बह्राष्ट्रीय निगम, जिनका भारत आने या भारत में अपना उत्पाद पेश करने का कोई इरादा नहीं है, उन्हें किसी भारतीय कंपनी को भारत में उत्पाद बेचने की अनुमति न देकर उसका गला घोंटने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, यदि भारतीय कंपनी ने वास्तव में इस चिह्न को अपनाया है और उत्पाद विकसित किया है और बाज़ार में प्रथम स्थान पर है। इस प्रकार अंतिम परीक्षा यह होनी चाहिए कि बाजार में प्रथम कौन है।

मौजूदा मामले में भी निशान वही हैं। वह फार्मास्युटिकल उत्पादों के संबंध में हैं। केवल यह तथ्य कि उत्तरदाता भारत में मार्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, अप्रासंगिक होगा यदि वे विश्व बाजार में पहले स्थान पर थे। डिवीजन बेंच ने उस सामग्री पर भरोसा किया था जो प्रथम दृष्ट्या दिखाती है कि प्रतिवादी उत्पाद का विज्ञापन अपीलकर्ताओं के क्षेत्र में प्रवेश करने से

पहले किया गया था। उस सामग्री के आधार पर डिवीजन बेंच ने निष्कर्ष निकाला है कि उत्तरदाताओं ने सबसे पहले इस चिह्न को अपनाया था। यदि ऐसा है तो डिवीजन बेंच द्वारा निकाले गए निष्कर्ष में कोई गलती नहीं पाई जा सकती।

हालाँकि, अपीलकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रतिवादी इस चिह्न का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। यह प्रस्तुत किया गया कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि अपीलकर्ताओं द्वारा भारत में चिह्न का उपयोग शुरू करने से पहले उत्तरदाताओं ने चिह्न को अपनाया था और चिह्न का उपयोग किया था। हमारे विचार में, ये ऐसे मामले हैं जिनमें साक्ष्य पर परीक्षण की आवश्यकता होगी। इस तथ्य को ध्यान में रखते ह्ए कि इन सभी वर्षों में, निषेधाज्ञा आदेश के कारण, अपीलकर्ताओं ने अपना उत्पाद किसी अन्य नाम से बेचा है, स्विधा का संतुलन यह है कि निषेधाज्ञा आदेश जारी रखा जाए और मुकदमे की स्नवाई में तेजी लाई जाए। यदि सबूतों के आधार पर यह साबित हो जाता है कि प्रतिवादियों ने तय कानून के अनुसार अपीलकर्ताओं के ऐसा करने से पहले ही निशान को अपना लिया था, तो प्रतिवादी निषेधाज्ञा के हकदार जाएंगे । हालाँकि, यदि सबूतों से यह दिखाया जाता है कि उत्तरदाताओं ने अपीलकर्ताओं द्वारा भारत में इसके उपयोग से पहले निशान को नहीं अपनाया था, तो निस्संदेह, विचारण न्यायालय निषेधाज्ञा को रद्द

कर देगा। ट्रायल कोर्ट निस्संदेह उस क्षिति का आकलन करेगा जो अपीलकर्ताओं को इन सभी वर्षों के लिए गलत तरीके से निशान का उपयोग करने की अनुमित नहीं देने के कारण हुई है।

इन निर्देशों के साथ, अपील का निपटारा किया जाता है। खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। दावा त्विरत विचारित होगा। विचारण न्यायालय को निर्देश दिए जाते हैं कि वह दावे का यथा सम्भव शीघ्र और किसी भी तरह आज से 6 माह के भीतर निस्तारण करेगा।

एन.जे.

अपील निस्तारित की

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी बृजेश कुमार शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।